विविध बैंक प्रकरण सं0 113/2017 पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय 7, भीखाएजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक , शाखा पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स, दुकान नं 87, 89 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर, 2. हरबंसलाल पुत्र सरदारी लाल 3. सरिता सेतिया पत्नि सुरेन्द्र कुमार, 4. वीना सेतिया पत्नि हरबंस लाल, निवासी 58 पुरानी धानमंडी, श्रीगंगानगर एवं अन्य जमानती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.06.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री विपिन सिद्ध, अभिभाषक एवं अप्रार्थी ऋणी फर्म की ओर से श्री जितेन्द्र पराशर, अभिभाषक उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में दिनांक 28.05.2018 को सुनी जा चुकी है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी 1. मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स, 2. हरबंस लाल सेतिया, 3. सरिता सेतिया, 4. वीना सेतिया,को ऋण सुविधा के रूप में 6,00,00,000/–रूपये (अखरे रूपये छः करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 12.12.2012 को स्वीकृत किया गया था, जिसका खाता नम्बर 6156008700000063 है। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण हरबंस लाल व सुरेन्द्र कुमार की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 36(10'X18'), दुकान नम्बर 37(10'X20') जवाहर मार्केट, वीना सेतिया व सुरेन्द्र सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 38(5'11"X10'), दुकान नम्बर 39(10'X8') जवाहर मार्केट, शेफाली सेतिया, हिमांशु सेतिया, वीना सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 40(11'6"'X21'6"), जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 87 (10'X18'), दुकान नं 88(10'X20'), जवाहर मार्केट, भगवान देवी की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 89 (10'X18') जवाहर मार्केट, हिमांशु सेतिया (दक्ष सेतिया) व स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 90(10'X20'), जवाहर मार्केट, हरबसं लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 91 (10'X18') जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया, वीना सेतिया, सरिता सेतिया, तीर्थ कुमार सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया, भगवान देवी सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 58(21'9"X70') पुरानी धानमंडी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवं ताराचंद सेतिया की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर 142 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उक्त बंधक रखी गई विभिन्न सम्पित्तियां जिसमें उनकी भूमि, भवन ढांचा आदि जो की सम्बन्धित सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता संख्या 615600870000063, जो दिनांक 27.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणी फर्म के नाम दिनांक 01.07.2017 को कुल 6,16,79,532/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है। अप्रार्थीगण ऋणी फर्म/जमानतदारों को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.07.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व अचल सम्पति हरबंस लाल व सुरेन्द्र कुमार की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 36(10'X18'), दुकान नम्बर 37(10'X20') जवाहर मार्केट, वीना सेतिया व सुरेन्द्र सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 38(5'11"'X10'), दुकान नम्बर 39(10'X8') जवाहर मार्केट, शेफाल सेतिया, हिमांशु सेतिया, वीना सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 40(11'6"'X21'6"), जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 87 (10'X18'), दुकान नं 88(10'X20'), जवाहर मार्केट, भगवान देवी की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 89 (10'X18') जवाहर मार्केट, हिमांशु सेतिया (दक्ष सेतिया) व स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 90(10'X20'), जवाहर मार्केट, हरबसं लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 91 (10'X18') जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया, वीना सेतिया, सरिता सेतिया, तीर्थ कुमार सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया, भगवान देवी सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 58(21'9"X70') पुरानी धानमंडी एवं ताराचंद सेतिया की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर 142 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी ऋणी सेतिया ज्वैलर्स, स्थित 87–89 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर के पार्टनर ने विभिन्न प्रार्थना पत्रों क्रमशः दिनांक 20.12.2017, 09.01.2018, 17.01.2018, 21.02.2018, 06.03.2018 एवं 21.05.2018 में प्रार्थना की है कि उक्त प्रार्थना पत्रों में ऋणी द्वारा की गई आपत्तियों के आधार पर बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत की जा रही कार्यवाही स्थगित/समाप्त की जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने न्यायिक दृष्टांतों 2016(4) डीएनजे(राज.) पेज 1814, एआईआर 201 बॉम्बे पेज 32, एआईआर 2012 गुजरात पृष्ठ 90 एवं एआईआर 2009 केरला पेज 14 का हवाला देते हुए कथन था कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी ऋणी फर्म को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं, इसलिए ऋणी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपत्तियों पर इस न्यायालय को विचार करने की कोई अधिकारिता नही है और न ही इस न्यायालय को किसी प्रकार से किसी के अधिकारों को तय करने की अधिकारिता है, और न ही किसी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने की अधिकारिता है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त प्रार्थना पत्र विचार करने योग्य नहीं है। उनका आगे यह भी कथन था कि यदि अप्रार्थीगण फर्म को धारा 14 के तहत बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही से कोई आपत्ति हो तो वह सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष चाराजोही कर सकता है। उनका आगे यह भी कथन था कि बैंक द्वारा दिनांक 28.07.2017 को धारा 13(2) का जो नोटिस ऋणी फर्म/ जमानतदारों को दिया गया था उसके क्रम में दिनांक 22.09.2017 को ऋणी फर्म द्वारा जो आक्षेप प्रस्तुत किये गये, उनका बैंक द्वारा विधिवत् रूप से निस्तारण कर अप्रार्थी ऋणी फर्म को दिनांक 03.10.2017 को सूचित कर दिया गया। उसके पश्चात दिनांक 13.10.2017 को पुनः ऋणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भी बैंक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का दिनांक 24.10.2017 को निस्तारण कर अप्रार्थी ऋणी फर्म को पंजीबद्ध डाक से सूचित कर दिया गया था। उक्त तथ्य बैंक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके सम्बन्ध में शपथ पत्र दिनांक 20.12.2017 प्रस्तुत किया है। क्योंकि बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा जमा नहीं करवाई गई है, इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज धारा 14 के प्रार्थना पत्र में अंकित बंधक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पुलिस के माध्यम से प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 07.11.2017 एवं 20.12.2017 तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1. मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स, 2. हरबंस लाल सेतिया, 3. सरिता सेतिया, 4. वीना सेतिया जिनका खाता संख्या 6156008700000063 है, पर दिनांक 12.12.2012 को ऋण सुविधा के रूप में 6,00,00,000/— (अखरे रूपये छः करोड़ रूपये) की सीसी लिमिट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी फर्म व जमानतदारों 1. मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स, 2. हरबंसल लाल सेतिया, 3. सरिता सेतिया, 4. वीना सेतिया, 5. भगवान देवी सेतिया, 6. ताराचंद मिढा, 7. शेफाली सेतिया, 8. हिमांशु सेतिया(दक्ष सेतिया) 9. स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) 10. सुरेन्द्र कुमार सेतिया द्वारा अपनी चल व अचल सम्पतियाँ हरबंस लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की दुकान नम्बर 36(10'X18'), दुकान नम्बर 37(10'X20') जवाहर मार्केट, वीना सेतिया व सुरेन्द्र सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 38(5'11"'X10'), दुकान नम्बर 39(10'X8') जवाहर मार्केट, शेफाली सेतिया, हिमांशु सेतिया, वीना सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 40(11'6"'X21'6"), जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 87 (10'X18'), दुकान नं 88(10'X20'), जवाहर मार्केट, भगवान देवी की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 89 (10'X18') जवाहर मार्केट, हिमांशु सेतिया (दक्ष सेतिया) व स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 90(10'X20'), जवाहर मार्केट, हरबसं लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 91 (10'X18') जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया, वीना सेतिया, सरिता सेतिया, तीर्थ कुमार सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया, भगवान देवी सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 58(21'9"X70') पुरानी धानमंडी एवं ताराचंद सेतिया की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर 142 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 27.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों एवं बंधककर्त्ता/जमानतदार जो उक्त सम्पत्तियों के स्वामी है, को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.07.2017 को डाक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

द्वारा भिजवाये गये, जिसकी प्राप्ति की एडी रसीद, जो कि विक्रम नाम के व्यक्ति को तामील हुए है, रिकॉर्ड पर उपलबध है। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.07.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 28.07.2017 को डाक द्वारा भिजवाये गये। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र दिनांक 20.12.2017 के अनुसार ऋणी फर्म मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स द्वारा उक्त धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 28.07.2017 के सम्बन्ध में ऋणी द्वारा दिनांक 22.09.2017 को अभ्यावेदन पेश किया, जिसका बैंक द्वारा विधिवत् रूप से दिनांक 03.10.2017 को निस्तारण कर ऋणी फर्म को सूचित कर दिया गया और ऋणी फर्म द्वारा पुनः दिनांक 13.10.2017 को एक आक्षेप प्रार्थना पत्र पेश किया जो बैंक द्वारा दिनांक 24.10.2017 को निस्तारण कर ऋणी को पंजीकृत डाक से इसकी सूचना दे दी गई।

चूंकि धारा 13(2) का जारी नोटिस दिनांक 28.07.2017 की तामील के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया राशि अब तक जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने ऋण की सुरक्षा की एवज उक्त ऋणी फर्म की व जमानतदारों की बंधक रखी गई उक्त सम्पत्तियों का कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाये जाने के आदेश चाहे है।

अप्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा स्वतः की उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध अपने उक्त विभिन्न प्रार्थना पत्रों में जो आपत्तियां की है, उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संदर्भ में प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने विशेषकर हमारा ध्यान 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य की ओर दिलाया है जिसके पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.
15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.

There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नही है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 20.12.2017, 09.01.2018, 17.01.2018, 21.02.2018, 06.03.2018 एवं 21.05.2018 में गई आपत्तियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता और एआईआर 2012 गुजरात 90 के अनुसार भी किसी के अधिकारों को तय करने का इस न्यायालय को कोई अधिकार नही है और एआईआर 2011 बॉम्बे 32 के अनुसार भी किसी भी दस्तावेज की वैद्यता की जांच करने का भी इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। ऐसी दशा में प्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2017, 09.01.2018, 17.01.2018, 21.02.2018, 06.03.2018 एवं 21.05.2018 विचार करने योग्य नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल व अचल सम्पति दुकान नम्बर 36(10'X18'), दुकान नम्बर 37(10'X20') दुकान नम्बर 38(5'1"'X10'), दुकान नम्बर 39(10'X8') दुकान नं 40(1'6"'X21'6"), दुकान नं. 87 (10'X18'), दुकान नं 88(10'X20'), दुकान नं 89 (10'X18') दुकान नं 90(10'X20'), दुकान नम्बर 91 (10'X18') जवाहर मार्केट, दुकान नम्बर 58(21'9"X70') पुरानी धानमंडी एवं आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर 142 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर में स्थित है जो कि हरबंस लाल, सुरेन्द्र कुमार, वीना सेतिया शेफाली सेतिया, भगवान देवी हिमांशु सेतिया (दक्ष सेतिया), स्थित सेतिया (अंकित सेतिया), सरिता सेतिया, तीर्थ कुमार सेतिया एवं ताराचंद सेतिया के नाम से है जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है। उक्त समस्त सम्पत्तियां जिनका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वे सभी श्रीगंगानगर में है जो कि **निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है।**

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 28.07..2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 28.07.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थी 1. मैसर्स सेतिया ज्वैलर्स, 2. हरबंसल लाल सेतिया, 3. सरिता सेतिया, 4. वीना सेतिया, 5. भगवान देवी सेतिया, 6. ताराचंद मिढा, 7. शेफाली सेतिया, 8. हिमांशु सेतिया(दक्ष सेतिया) 9. स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) 10. सुरेन्द्र कुमार सेतिया के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त हो चुके है और इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी ऋणी फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक को दिनांक 22.09.2017 एवं 13.10.2017 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 03.10.2017 एवं 24. 10.2017 को निस्तारित किये जा चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणी फर्म द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त ऋण राशि को जमा नहीं करवाया गया है। ऐसी दशा में ऋण की सुरक्षा की एवज में उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2017 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी फर्म एवं जमानतदारों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई **अचल सम्पत्तियां हरबंस लाल सेतिया एवं सुरेन्द्र कुमार सेतिया की दुकान नम्बर 36(10'X18'), दुकान नम्बर 37(10'X20') जवाहर मार्केट, वीना सेतिया व सुरेन्द्र सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 38(5'11"'X10'), दुकान नम्बर 39(10'X8') जवाहर मार्केट, शेफाल सेतिया, हिमांशु सेतिया, वीना सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 40(11'6"'X21'6"), जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 87 (10'X18'), दुकान नं 88(10'X20'), जवाहर मार्केट, भगवान देवी की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 89 (10'X18') जवाहर मार्केट, हिमांशु सेतिया (दक्ष सेतिया) व स्थित सेतिया (अंकित सेतिया) की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नं 90(10'X20'), जवाहर मार्केट, हरबसं लाल सेतिया व सुरेन्द्र कुमार सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 91 (10'X18') जवाहर मार्केट, हरबंस लाल सेतिया, वीना सेतिया, सरिता सेतिया, तीर्थ कुमार सेतिया, सुरेन्द्र कुमार सेतिया, भगवान देवी सेतिया की व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान नम्बर 58(21'9"X70') पुरानी धानमंडी एवं ताराचंद सेतिया की आवासीय सम्पत्ति मकान नम्बर 142 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, जिनमें उक्त सम्पत्तियों की भूमि, भवन ढांचा आदि जो की सभी सम्पत्तियों के अभिन्न अंग है, जो कि समस्त सम्पत्तिया श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर